न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:–304/2017 (जीसीएमएस 2017/00177)

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री केसर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामपुरा चिराना, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू।

-----अपीलांट

बनाम

1. हेम सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह,
2. अमर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह
3. दुल सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह,
4. मोहन सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह,
5. कान सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह, जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम रामपुरा चिराना, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू।
6. धाप कॅवर पुत्री श्री सुगन सिंह, जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम रामपुरा चिराना, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। **(मृतक दौराने अपील)**

6/1. नीरू कंवर पत्नी स्व. श्री मनोहर सिंह,

6/2. कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री मनोहर सिंह,

6/3. शिवानी कंवर पुत्री स्व. श्री मनोहर सिंह, समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासीयान ग्राम–पोस्ट लधासर, तहसील रतनगढ़, जिला चूरु।

6/4. रामकुमार पुत्र स्व. धाप कंवर पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम–पोस्ट सुल्तान की खेड़ी, तहसील झेझर, जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)

6/5. राजु कंवर पुत्री स्व. श्रीमती धाप कंवर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम–पोस्ट तारपुरा, जिला सीकर।

7. चॉंद कंवर पुत्री श्री सुगन सिंह, निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू।

--- रेस्पोडेन्ट्स

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनू के अपीलाधीन आदेश दिनॉंक 05.07.2017, क्रमांक प–2(2) भू.अ. /सीमाज्ञान/2016/3276 जिससे क्रमांक/सम/3277 के जरिये तहसीलदार नवलगढ़ को अपीलांट की कब्जे की खाते की भूमि में से 5 मीटर भूमि रेस्पाडेंट्स को कब्जा दिलवाये जाने का आदेश दिया गया।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार नवलगढ़ के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पटवार हल्का चिराना ने तहसीलदार नवलगढ़ के आदेश क्रमांक 44 दिनॉंक 10.06.2013 की पालना मे दिनॉंक 23.05.2014 को आराजी खसरा नम्बर 768, 769, 770, 771, 777

P.T.O.

820 किता 6 कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा का सीमाज्ञान पडौसी काश्तकार रेस्पोडेंट संख्या 1 हेम सिंह की उपस्थिति में किया गया जिस सीमाज्ञान दिनाँक 23.05.2014 से रेस्पोडेंट संख्या 01 सहमत था तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 की सहमति से किये गये उक्त सीमाज्ञान के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के समक्ष अपीलांट ने पत्थरगढ़ी की आवेदन दिनाँक 17.06.2014 को पेश किया गया जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ ने दिनाँक 30.06.2014 को स्वीकार किया व इस आदेश की पालना में आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी दिनाँक 24.05.2015 को की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 काफी मुकदमेबाज व बेबुनियादी तथ्यों पर उच्च अधिकारियों को शिकायत करने वाली प्रकृति का व्यक्ति है जिसने उक्त पत्थरगढ़ी दिनाँक 24.05.2015 में उपस्थिति अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त सचिवालय जयपुर में शिकायत कर दी जिसके निस्तारण हेतु रेस्पोडेंट संख्या 01 हेमसिंह को खसरा नम्बर 766 व 769 का सीमाज्ञान ई.डी.एम. मशीन से करवाने हेतु निर्देशित किया गया, उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान ई.डी.एम. मशीन से करवाने हेतु भू–प्रबंध आयुक्त जयपुर को जिला कलक्टर झुन्झुनू ने पत्रांक प–2(2) भू.अ./सीमाज्ञान/2016/330 दिनाँक 27.01.2017 प्रेषित किया गया जिसके अनुसरण में भू–प्रबंध आयुक्त जयपुर ने जरिये पत्रांक 245 दिनाँक 30.05.2017 से भू–प्रबंध अधिकारी सीकर को विभागीय परिपत्रों के तहत शुल्क लिया जाकर सीमाज्ञान में तकनीकि सहयोग हेतु निर्देशित किया गया और भू–प्रबंध अधिकारी सीकर ने अपने पत्रांक 245 दिनाँक 30.05.2017 के द्वारा विभागीय शुल्क की गणना कर रेस्पोडेंट संख्या 01 को शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 01 ने शुल्क जमा नहीं कराया और चालाकी से भू–प्रबंध अधिकारी सीकर के कार्यालय में दिनाँक 07.06.2017 को आवेदन पेश किया और कहा कि नायब तहसीलदार नवलगढ़ की सीमाज्ञान कार्यवाही दिनॉक 01.07.2016 से पूर्णतया संतुष्ट है। यह निवेदन है कि नायब तहसीलदार नवलगढ ने अपीलांट को सूचित किये बगैर अपीलंट की गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट संख्या 01 के प्रभाव में आकर एक तरफा सीमाज्ञान कर दिया जिसमें 05 मीटर जमीन रेस्पाडेंट्स की तहरीर कर दी गई और उक्त सीमाज्ञान के आधार पर जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनू ने दिनाँक 05.07.2017 क्रमांक/सम/3277 के जरिये तहसीलदार नवलगढ़ को अपीलांट की कब्जे खाते की भूमि में से 5 मीटर भूमि रेस्पोडेंट्स को कब्जा दिलवाये जाने का आदेश क्षेत्राधिकार के विपरीत कर दिया, उक्त प्रश्नाधीन आदेश अधीनस्थ जिला कलक्टर कतई खिलाफ कानून व रुयेदाद मिसल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित निर्णय हैं, क्योंकि प्रश्नगत आराजी मुताबित बतौर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर धारा 75 एल.आर. एक्ट का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ को है और यही नहीं टीनेंसी एक्ट में भी इस प्रकृति

P.T.O.

का आदेश देने का क्षेत्राधिकार भी उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ को [illegible] से प्रश्नागत आदेश जिला कलक्टर क्षेत्राधिकार के बाहर पारित होने के कारण भी निरस्तनीय हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नगत मामले में रेस्पोडेंट संख्या 01 की उपस्थिति में सीमाज्ञान दिनॉक 23.05.2014 को हो गया व सीमाज्ञान मुताबिक दिनॉक 24.05.2015 को उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के आदेश दिनॉक 30.06.2014 से पत्थरगढ़ी नियमानुसार की गई फिर भी पृथक से एक तरफा सीमाज्ञान दिनॉक 01.07.2016 के आधार पर जिला कलक्टर ने बेजा आदेश पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने के कारण समेरली निररतनीय हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि यही नहीं जब जिला कलक्टर की जानकारी में यह तथ्य भली भाँति [illegible] प्रश्नगत प्रकरण का सीमाज्ञान ई.डी.एम. मशीन से भू–प्रबंध विभाग से किया जाना प्रस्तावित है तो पृथक से एक तरफा सीमाज्ञान दिनॉक 01.07.2016 के आधार पर जिला कलक्टर ने प्रश्नगत बेजा आदेश पारित करने में भंयकर गलती की है जो समेरली निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी व विवाद मुताबिक रेस्पाडेंट संख्या 01 ने एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जिस पर भी एफ.आर. लग चुकी है, रेस्पोडेंट संख्या 01 का उद्देश्य ऐन–केन प्रकारेण अपीलान्ट को मुंकदमेबाजी में उलझाना व अधिकारियों व राजस्व कर्मचारियों को शिकायत के माध्यम से प्रभाव में रखना है, इन्हीं से प्रभावित होकर पारित प्रश्नागत निर्णय अधीनस्थ जिला कलक्टर समेरली निरस्तनीय है। अतः अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर निवेदन है कि बमंजूरे अपील अपीलांट आदेश कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनू दिनॉक 05.07.2017 क्रमांक प.2(2) भू.अ./सीमाज्ञान/2016/3276 जिरासे क्रमांक/सम/3277 के जरिये तहसीलदार नवीलगढ को अपीलांट की कब्जे खाते की भूमि में से 5 मीटर भूमि रेस्पोडेंट्स को कब्जा दिलवाये जाने का आदेश दिया गया को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् को डायरेक्टर ऑफ लैण्ड रिकार्डस की शक्तियॉ प्राप्त है इसलिये राजस्थान लैण्ड रिवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 76(सी) के तहत [illegible] रिकार्डस ऑफीसर द्वारा पारित ऐसे आदेश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील दायर की जा सकती है जो लैण्ड रिकार्ड ऑफीसर ने अपने समक्ष की अपील में पारित किया हो, उपरोक्त दृष्टिकोण से अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 के अवलोकन किया जावे तो यह प्रकट होता है कि उक्त आदेश एक गैर न्यायिक आदेश है, जो प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) ने अपने समक्ष की किसी अपील में पारित नही किया था ऐसी परिस्थितियों मे अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरूद्ध हस्तगत द्वितीय अपील पोषणीय नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2016 की पालना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गई है, अपीलार्थी ने

आज दिवस तक सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2016 को चुनौतीग्रस्त नही किया है जिसे विहित अवधि में सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौतीग्रस्त न करने की सूरत में उक्त सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2016 अंतिम हो चुका है एवं अंतिमता को प्राप्त हो चुके उक्त सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2016 की पालना में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 को किसी भी अपील में अपीलाधीन नही किया जा सकता है लिहाजा ऐसी स्थिति में उक्त अपील पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य [illegible] उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी ने अपने अपील के सीमा में एक [illegible] लिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 हेमसिंह की मोजूदगी में दिनांक 24.05.2014 को सीमाज्ञान किया गया था तथा उपरोक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिनांक 30.06.2014 को उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा किया जा चुका था ऐसी परिस्थितियों में एक तरफा सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2016 विधिक नही है जिसकी पालना के लिए पारित किया गया आदेश दिनांक 05.07.2017 निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी पूर्ववती सीमज्ञान व पत्थरगढी दिनांक 24.05.2015 को विधि सम्मत व सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2016 को अविधिक बताता है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि पूर्ववती सीमाज्ञान व पत्थरगढी दिनांक 24.05.2015 भू अभिलेख निरीक्षक सुरेन्द्रसिंह ने कसीद की थी जो मिथ्या थी तथा जिसे हस्तगत अपील के अपीलार्थी नरेन्द्रसिंह को अवैध लाभ पहूँचान के लिए रचा गया था तथा इसकी शिकायत होने पर की गई जॉच में जिला कलक्टर भू अभिलेख झुन्झुनू ने अपने आदेश दिनांक 15.06.2020 के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक बसवा तहसील नवलगढ श्री सुरेन्द्रसिंह को आरोपित आरापों का दोषी पाया जाकर उनकी दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया था व उनके निलम्बन काल का बकाया वेतन जप्त करने का आदेश पारित किया गया था, उपरोक्त आदेश दिनांक 16.05.2020 के विरूद्ध उपरोक्त सुरेन्द्र सिंह ने संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील दायर की थी जो निर्णय दिनांक 29.12.2020 के द्वारा खारिज कर अपीलाधीन दण्डादेश दिनांक 15.06.2020 को यथावत रखा गया था। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि उपरोक्त कार्मिक सुरेन्द्रसिंह ने मिन प्रत्यर्थी हेमसिंह की भूमि खसरा नम्बर 766 वाके ग्राम रामपुरा की दक्षिणी सीमा पर करीब 2 बीघा भूमि पर हस्तगत अपीलार्थी नरेन्द्रसिंह का नाजायज कब्जा पत्थरगढी की आड़ में करवाया था तथा कार्मिक सुरेन्द्रसिंह पर लगाये गये आरोपों की जांच उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा की गई थी जिन्होने मिन प्रत्यर्थी संख्या 1 हेमसिंह की सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 766 रकबा 7.17 हैटक्यर वाके ग्राम रामपुरा का सीमाज्ञान नायब तहसीलदार नवलगढ से दिनांक 01.07.2016 को करवाया था जिससे यह साबित हुआ कि पूर्ववर्ती सीमाज्ञान व पत्थरगढी दिनांक 24.05.2015 गलत है, उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य जिला कलक्टर भू अभिलेख झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2020 व संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2020 में उल्लेखित है। इस प्रकार हस्तगत अपील में अपीलार्थी [illegible] पूर्ववर्ती सीमाज्ञान व पत्थरगढी दिनांक 24.05.2015 को सही होना कथित कर [illegible]

P.T.O.

है उसके सम्बन्ध में की गई शिकायत की जॉच के अनुक्रम में जॉच अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार नवलगढ से दिनांक 01.07.2016 को पुनः सीमाज्ञान करवाया गया था जिससे यह स्पष्ट हुआ था कि पूर्ववर्ती सीमाज्ञान व पत्थरगढी दिनांक 24.05.2015 की आड़ में मिन प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 766 वाके ग्राम रामपुरा की दक्षिणी सीमा की करीब 2 बीघा भूमि पर भू अभिलेख निरीक्षक सुरेन्द्रसिंह ने अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह को नाजायज कब्जा करा दिया था सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध की गई विभागीय जॉच में पारित आदेश दिनांक 15.06.2020 के द्वारा जिला कल्क्अर झुन्झुनू ने उसे दोषी मानकर दण्डित किया था जिसे विरूद्ध कार्मिक द्वारा की गई अपील को भी संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निणय दिनांक 29.12.2020 के द्वारा खारिज कर अपने समक्ष के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2020 की पुष्टि कर दी, सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध की गई जॉच में यह प्रकट हो गंया था कि पूर्ववती सीमाज्ञान व पत्थरगढी दिनांक 24.05.2015 गलत है तथा उपरोक्त गलती सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2016 के माध्यम से संज्ञान में आई थी इसलिये हस्तगत अपील के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 के माध्यम से विवादित भूमि की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पोषणीय भी नही है तथा हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है अतः अपील अपीलार्थी मय हर्जे खंर्चे खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान पटवार हल्का द्वारा दिनांक 23.05.2014 को उपक्षकारान की उपस्थिति में किया गया है जिसकी फर्द सीमाज्ञान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भी हस्ताक्षर है तथा उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा वादग्रस्त आराजी पर पत्थरगढी हेतु आदेश दिनांक 30.06.2014 पारित किया गया है जिसकी पालना में पत्थरगढी दिनांक 24.05.2015 को पूर्ण की जा चुकी है। चूँकि प्रकरण कृषि भूमि से सम्बन्धित है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कृषि भूमि से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण हेतु प्रावधान किये हुये जिसके अनुसार काश्तकारान द्वारा कार्यवाही की जानी होती है इसलिये यदि उक्त सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादि आदेशों से रेस्पोडेन्ट असंतुष्ट है और उक्त आदेशों से उसके हक हकूक प्रभावित होना प्रकट हो रहे है तो इसके लिये में दिये गये प्रावधानों के तहत उक्त आदेशों को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अपने हक, हकूक अधिकारों की चाराजाही करने चाहिये थी किन्तु हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही नही कर शिकायती प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों को भिजवाये गये जिसके सम्बन्ध में जॉच इत्यादि के पश्चात् अधीनस्थ जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनू द्वारा वादग्रस्त भूमि

कृषि भूमि होने के बावजूद भी प्रशासनिक आदेश दिनांक 05.07.2017 अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किये गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक प2/(2)भू.अ./सीमाज्ञान/2016/3276–3277 दिनांक 05.07.2017 एवं नायब तहसीलदार नवलगढ द्वारा की गई फर्द मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 01.07.2016 को निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2014 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा पारित पत्थरगढी आदेश दिनांक 30.06.2014 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

8/9/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर